भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2402

उत्तर देने की तारीख: 08.07.2019

दिव्यांग बच्चे

2402. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विद्यालय नहीं जाने वाले दिव्यांग बच्चों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर पढ़ रहे तथा उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे दिव्यांग बच्चों की संख्या कितनी है; और
(ग) सरकार द्वारा उक्त बच्चों की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2014 में कराए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण के अनुसार, 6 से 13 वर्ष की आयु समूह में स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों की संख्या 6.00 लाख होने का अनुमान है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ख): एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) 2017-18 (अनंतिम) के अनुसार, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर क्रमशः 12,29,639, 7,23,276, 2,28,134 और 74,014 दिव्यांग बच्चे नामांकित किए हैं और अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2017-18 के अनुसार, उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में 74,317 दिव्यांग व्यक्ति नामांकित हैं।

(ग): समग्र शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना का समावेशी शिक्षा संघटक कक्षा-I से XII तक एक अबाध क्रम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की शिक्षा पर ध्यान देने की ओर लक्षित है। यह योजना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा शासित और विनियमित है।नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में सीडब्ल्यूएसएन सहित सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल तक पहुंच और बाधारहित पहुंच का अधिकार है। समग्र शिक्षा में दिव्यांग जन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की नि:शक्तता की अनुसूची में यथा उल्लिखित एक या अधिक निःशक्तताओं वाले सभी सीडब्ल्यूएसएन को कवर किया गया है।

समग्र शिक्षा योजना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को औपचारिक स्कूलिंग में शामिल करने अथवा मुख्यधारा में लाने पर जोर देती है। योजना के तहत सीडब्ल्यूएसएन के लिए समावेशी शिक्षा समान और गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए सीडब्ल्यूएसएन की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ब्रेल किट, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण सहायक उपकरण, सहायक यंत्र, स्कूलों में सीडब्ल्यूएसएन की पहुंच में सुधार के लिए सहायक उपकरण और उपस्कर, सुधारात्मक सर्जरी, परिवहन और एस्कोर्ट भत्ता, रीडर भत्ता, बालिका विद्यार्थियों के लिए वजीफा, शिक्षकों व अन्य पक्षकारों के लिए प्रशिक्षण/ओरिएंटेशन कार्यक्रम तथा विशेष शिक्षकों के माध्यम से संसाधन सहायता आदि सहित विद्यार्थी उन्मुखी पहलों द्वारा प्रत्येक दिव्यांग बालक की पूर्ण क्षमता को विकसित करने पर बल दिया गया है।

*****

संलग्नक

“दिव्यांग बच्चे” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री गोपाल शेट्टी द्वारा दिनांक 08.07.2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाला अतारंकित प्रश्न सं. 2402 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक अनुबंध

स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1014
2	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	26157
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	13777
5	बिहार	103,187
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ़	27542
8	दादरा और नगर हवेली	330
9	दमन और दीव	86
10	दिल्ली	2848
11	गोवा	0
12	गुजरात	5693
13	हरियाणा	2095
14	हिमाचल प्रदेश	2176
15	जम्मू और कश्मीर	11,482
16	झारखंड	19425
17	कर्नाटक	18106
18	केरल	16273
19	लक्षद्वीप	62
20	मध्य प्रदेश	50,609
21	महाराष्ट्र	22,551
22	मणिपुर	863
23	मेघालय	1594
24	मिजोरम	777
25	नगालैंड	346
26	ओडिशा	35,081
27	पुद्दुचेरी	285
28	पंजाब	3695
29	राजस्थान	74,288
30	सिक्किम	0
31	तमिलनाडु	23,627
32	त्रिपुरा	1227

33	उत्तराखंड	6008
34	उत्तर प्रदेश	96,237
35	पश्चिम बंगाल	33189
	कुल	**600,626**

स्रोत: आईएमआरबी सर्वेक्षण, 2014

*****